


क्रमांक :- प.1(6)ग्रावि./आरजीएवीपी/2011 | 4 239-44 दिनांक :- 10.7.2013  
11.7.13


समस्त जिला परियोजना प्रबंधक,  
जिला परियोजना प्रबंधन इकाई,

विषय :- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में प्रतिनियुक्ति पर  
पदस्थापित राज्य कर्मचारियों के 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान के  
भुगतान के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित राज्य कर्मचारियों को वित्त विभाग के नियमानुसार पेंशन अंशदान का प्रतिवर्ष भुगतान किया जाना है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में कार्यरत सभी राज्य कर्मचारियों का पेंशन अंशदान राज्य सरकार को भिजवाये जाने की सुनिश्चितता करे।

  
स्टेट मिशन डायरेक्टर  
आजीविका परियोजनाएं एवं  
स्वयं सहायता समूह

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, जयपुर।
4. समस्त परियोजना निदेशक/महाप्रबंधक/प्रबंधक.....
5. रक्षित पत्रावली।

  
परियोजना निदेशक  
आजीविका परियोजनाएं एवं  
स्वयं सहायता समूह

